राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएं

❑ *डॉ० सत्य पाल श्रीवत्स*

आज हमारे सामने राष्ट्रीय एकता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्भाग्य से अनेकों विघटनकारी तत्व आज देश की अखण्डता के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम इन शक्तियों का सामना करने के लिए अन्य साधन अपनाते हैं तो देश में एक सम्पर्क भाषा और उसके साथ प्रादेशिक भाषाओं को सशक्त बनाना भी नितान्त अनिवार्य है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए जितनी महत्वपूर्ण भूमिका उस देश की राष्ट्रभाषा या सम्पर्क भाषा की होती है उतनी अन्य साधनों की शायद ही हो। परन्तु यह बड़े दु:ख की बात है कि हम इस सच्चाई के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। यह या तो हमारी हीन भावना है या राष्ट्र की एकता के प्रति कर्तव्य विमुखता।

हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने से पहले अवश्य इस मुद्दे पर काफी विचार विमर्श और तर्क-वितर्क कर लिया होगा। उस समय संविधान निर्मात्री समिति में भारत के चुने हुए उच्चकोटि के विद्वान और न्यायविद थे, जिनमें अहिन्दी भाषी डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर और श्री के० एम० मुन्शी जैसे गण्य मान्य व्यक्ति भी थे। इसके साथ राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी जो स्वयं गुजराती भाषा भाषी थे, ने भी हिन्दी को देश की राष्ट्र भाषा घोषित करने के लिए अपना अभिमत पहले ही दे दिया था।

ऐसा निर्णय होने के पीछे न तो हिन्दी के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण रवैया था और न ही कोई राजनैतिक कारण, बल्कि ऐसा निर्णय लेने के पीछे हिन्दी के पक्ष में तथ्यपूर्ण आंकड़े थे। भारत के बहुसंख्यक लोग या तो हिन्दी अच्छी प्रकार बोल लेते हैं और पढ़ते हैं या उसे समझकर अपना काम चला लेते हैं। भारत का संविधान बना और लागू हुआ परन्तु हिन्दी को व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के रास्ते में अनेक बाधाएं खड़ी होती गई। दक्षिण भारतीयों के दिलों में यह भय बैठा दिया गया कि हिन्दी उत्तर के लोगों की भाषा है और यह उन पर जानबूझ कर थोपी जा रही है। उन्हें यह डर हो गया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बना दी गई तो उनकी भाषाओं की प्रगति रुक जाएगी। उनका यह भय दूर करने के लिए प्रयत्न किए गए परन्तु दुर्भाग्य से उनके मन में

यह भय अब भी व्याप्त है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि दक्षिण के चारों राज्य मिलाकर सभी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का अध्ययन करने वाले अनेक लोग हैं और जो इसे पढ़ते तक नहीं हैं वे भी टूटे-फूटे रूप में समझकर हिन्दी भाषी लोगों के साथ जहां-जहां भी जरूरत पड़े अपना कारोबार चलाते हैं। क्योंकि हिन्दी के सरल रूप-हिन्दुस्तानी के बिना उनके पास इतना सरल-माध्यम अन्य भारतीय भाषा हो भी नहीं सकती। यह न तो कोई अतिशयोक्ति है और न ही पक्षपात।

यह आश्चर्य की बात है कि देश में भाषावार राज्यों का निर्माण हो जाने पर भी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के विरोध में कुछ तत्व निरन्तर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हिन्दी भाषी राज्य भी उत्तरदायी हैं। देशद्रोही तत्व भी तथा राजनीति प्रेरित संकीर्ण मनोवृत्ति भी। परिणामत: न तो हिन्दी का यथोचित तीव्रगति से विकास हो रहा है और न ही प्रादेशिक भाषाओं का। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रभाषा या सम्पर्क भाषा हिन्दी के विकास पर ही प्रादेशिक भाषाओं का विकास निर्भर है। यदि इस देश में विदेशी भाषी अंग्रेजी का ही प्रभुत्व बना रहेगा तो न तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का अभीष्ट विकास होगा और न ही प्रादेशिक भाषाओं का ही।

कितने कष्ट से कहना पड़ता है कि आज जबकि हम भारतीय स्वतंत्रता के वर्षों गुजरने के बावजूद भाषा समस्या की उलझी हुई गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्र-स्वाभिमान जैसे गुण हमारे भीतर कमज़ोर पड़ रहे हैं। और साथ ही राष्ट्र का अधिकांश बुद्धि कौशल पंगु होता जा रहा है। इसके बावजूद हम इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि हिन्दी का चिराग अब सारे देश में दिन प्रति दिन रोशनी देने की क्षमता रखता है। वह यदि भारत की प्रादेशिक भाषारूपी दीपकों को रोजमर्रा के शब्द देकर उन्हें भी अधिक प्रकाश देने वाला बना रहा तो उनसे उनके निजी शब्द लेकर अपने आप को और अधिक सशक्त कर रहा है। अत: अन्योन्य पूरक बनकर उनकी विकास-गति सशक्त होती चली जा रही है। उनके विकास की गति भले ही धीमी क्यों न हो।

वास्तव में इस प्रक्रिया में जहां यातायात के साधनों का विकसित हो जाना एक कारण है, वहां दूरदर्शन और आकाशवाणी भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन सब में भी समाचार पत्रों का भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इन साधनों के विकसित हो जाने से आम मजदूरों, छोटे व्यापारियों तथा अन्य व्यवसायों में काम करने वालों को भारी लाभ हो रहा है। यही कारण है कि लाखों की संख्या में मज़दूर अपने प्रदेशों से हजारों मीलों की यात्रा करके बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलौर, कानपुर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में, यहां तक कि जम्मू, श्रीनगर, जालन्धर, शिमला जैसे शहरों में आकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। आखिर ये लोग इन शहरों में वहां लोगों के साथ हिन्दी या उसके सरल रूप हिन्दुस्तानी को छोड़कर किस भाषा के माध्यम से अपना काम काज चलाएंगे? इसके सिवाय उनके पास अन्य कोई उपाय ही नहीं है।

हिन्दी के सन्दर्भ में यहां यह बात भी विचारणीय है कि हिन्दी को केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और मध्यप्रदेश की भाषा मानना सरासर भ्रामक धारणा से प्रेरित विचार है। उत्तरप्रदेश और बिहार की भोजपुरी, अवधी, ब्रज तथा मैथिली भाषाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की भाषाएं या बोलियां क्रमशः बुन्देली, बांगरू और राजस्थानी हो सकती हैं। परन्तु आज खड़ी बोली के रूप में जो हिन्दी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है यह तो पूर्व में आगरा-मथुरा से दिल्ली तक, करनाल से दिल्ली तक दक्षिण में हैदराबाद से दिल्ली तक और इसी प्रकार दिल्ली से पश्चिम की ओर फैले कुछ प्रदेशों में ही विकसित हुई है और मूलतः बारहवीं शताब्दी से और व्यवहारतः सतरहवीं शताब्दी से इन्हीं प्रदेशों में जन्मी और यहीं पर विकसित होती हुई आज इस रूप में हमारे पास पहुंची है।

मुगल काल में जब दरबारी भाषा का श्रेय फारसी भाषा को मिला था तो उस समय आम जनता के व्यवहार के लिए, विशेषतः सेना के सैनिकों और पुलिस के कर्मचारियों या सिपाहियों के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय पुरानी पंजाबी, परशियन और ब्रज भाषा के मेल से जो भाषा विकसित हुई उसको शुरू में डेकनी या दक्खनी, रेखता, हिन्दी, हिन्दवी और उर्दू आदि अनेक नामों से पुकारा जाने लगा। बाद में परशियन लिपि में फारसी से प्रभावित उर्दू विकसित हुई और देवनागरी लिपि में लिखी जाती हुई संस्कृत से प्रभावित जो भाषा उभर कर सामने आई वह हिन्दी कहलाई। ऐसी स्थिति में हिन्दी और उर्दू का झगड़ा खड़ा करना उचित नहीं है। हिन्दी और उर्दू तो एक ही भाषा के दो पक्ष हैं। आज हिन्दी के उर्दू मिश्रित सरल रूप, जिसे या तो सरल खड़ी बोली कहते हैं या हिन्दुस्तानी, का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। परन्तु हिन्दी का यह रूप किसी प्रादेशिक भाषा के रास्ते में रूकावट नहीं बन रहा है। यह एक सुखद स्थिति है। जो तत्व इस प्रक्रिया को जानबूझ कर बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं वे निः सन्देह अपने ही देश का अहित करते हैं।

यहां यह तथ्य भी स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि खड़ी बोली के विकास में यदि हिन्दू लेखकों और कवियों का योगदान रहा है तो हम यदि अमीर खुसरो, कबीर, इंशाअल्ला खां, रहीम और रसखान, सन्त कवि दरया साहब (दो) आदि अनेक मुसलमान कवियों और लेखकों का योगदान कैसे भूल सकते हैं। असल में हिन्दी खड़ी बोली का जन्म तेरहवीं शताब्दी के अमीर खुसरो की पहेलियों में और चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में होने वाले सन्त कबीर के पदों में स्वतः ही देखा जा सकता है। इस सन्दर्भ में इन दोनों मुसलमान कवियों के क्रमशः दो पद विचारणीय है :-

1. एक थाल मोतियन भरा सबके उपर औंधा धरा वह थाल सब के सिर पर फिरे मोती उसका एक न गिरे।

2. गोधन गजधन वाजीधन और रत्न धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान।

ऊपर दिये गए विचार-विमर्श से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हिन्दी का वर्तमान रूप राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी में राष्ट्रीय एकता निहित है। हिन्दी का न तो किसी प्रादेशिक भाषा से (उर्दू को मिला कर) झगड़ा है और न ही वह किसी भी प्रादेशिक भाषा के लिए किसी भी प्रकार की बाधा बन सकती है। हिन्दी को भारत के प्रत्येक राज्य में कहीं अधिकांश और कहीं अल्पांश रूप में लोग बोलते हैं और समझते हैं तथा एक भाषा को बोलने वाले लोग दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ बातचीत का माध्यम हिन्दी को अपनाते हैं, यद्यपि कुछ पढ़े-लिखे न जाने किस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर केवल अंग्रेजी में ही बातचीत करना पसन्द करते हैं। यहां इतना कहना अनिवार्य है कि यदि किसी भी प्रदेश के रहने वाले भारतीय हिन्दी में बातचीत न कर सकने के कारण दूसरे राज्य के लोगों के साथ बातचीत के लिए अंग्रेजी माध्यम को अपनाते हैं तो यह उनकी विवशता हो सकती है। यद्यपि उन्हें भी हिन्दी अवश्य सीखनी चाहिए। परन्तु जो लोग अपनी मातृभाषा तथा हिन्दी में भली प्रकार से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, यदि वे भी दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने की दृष्टि से अंग्रेजी में भाषण तथा बातचीत करते हैं तो यह उनकी मानसिक और बौद्धिक दासता की प्रवृति ही समझनी चाहिए।

अन्त में यही कहना होगा कि यदि हम अपने देश को एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें रूस, चीन, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के समान अपनी राष्ट्रभाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं को समृद्ध करके इन्हीं के माध्यम से हर प्रकार की उन्नति की ओर कदम बढ़ाना होगा। यह एक अनिवार्यता ही नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई भी है जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता।

संपर्क : 47/5 रूप नगर, हाऊसिंग कॉलोनी, जम्मू - 180 013.